न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, सिमडेगा

प्रारम्भ सं० ५६५। [स्थायी रूप से उपयोगित]

[बोर्ड के आदेश सं० ४११६ बी० ता० १२-८-११ में अनुमोदित]

संयुक्त मुख्य-पृष्ठ और पत्रावरण।

Nohc upload 13/04/2018

(रेवें नियम १२० अधिनियम १९११)

विविध विभाग

SAR 16/2014-15

आमोद लकड़ा सिमडेगा बनाम सरकार

CNTAC

क्रम सं०	कागज का वर्णन	किस तारीख को दाखिल किया गया	पन्नों की संख्या	कागज नं० या पृ०य	फाइल की संख्या	अभ्युक्ति
१	२	३	४	५	६	७
			11.03.2022 19-4/22 14/6/22 22/7/22 30/8/22 14/10/22	4-7-18 27-8-18 31-10-18 2-1-19 6-2-19 15-5-19 9-7-19 28-8-19 23-10-019 21-1-20 4-3-20 6-5-20 10/8/20 02-6-2021 25/8/21 13-11-21 2/2/22		9-1-17 6-2-17 27-2-17 25-3-17 24-4-17 24-5-17 21-6-17 26-7-17 23-8-17 4-10-17 ~~8-11-17~~ 20-12-17 7-2-18 1-3-18 11-4-18 23-5-18

Scanned with CamScanner

आदेश--पत्रक

(देखें नियम 129 अभिलेख हस्तक)

आदेश पत्रक–ता0.................................से ....तक आमोद लकड़ा

जिला–सिमडेगा, संख्या SAR 16 /2014-15

केस का प्रकारः– बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 बनाम जयनाथ साव

आदेश की कम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
28-6-2014	श्री आमोद लकड़ा पिता जोलजस लकड़ा साकिन धान्चो टोली सिमडेगा थाना सिमडेगा जिला–सिमडेगा ने आवेदन–पत्र दिया है कि निम्नलिखित जमीन को नाजायज तरीके से विपक्षी जयनाथ साव पिता टेम्बा साव साकिन– सांई मुहल्ला नीचे बाजार थाना सिमडेगा जिला–सिमडेगा ने कब्जा कर लिया है। इस जमीन को बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के अंतर्गत वापस दिलाने का अनुरोध करते हैं।	28-9-16 19-10-16 16-11-16 5-12-16 9-1-17

ग्राम	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा
सिमडेगा नीचे बाजार	75	157	21'x28½'

उभय पक्ष को सूचित करें। अभिलेख दिनांक 5-7-2014 को उपस्थापित करें।

(हस्ताक्षर) 28/6

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,

सिमडेगा।

Scanned with CamScanner

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा।

वाद सं0–एस0ए0आर0 16/2014–15
दिनांक..........................

अमोद लकड़ा
बनाम
जयनाथ साव

आदेश

प्रस्तुत वाद अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 अन्तर्गत भूमि वापसी वाद की कार्यवाही आवेदक अमोद लकड़ा, पिता–स्व0 जोलजस लकड़ा, साकिन–घोचो टोली, थाना–सिमडेगा, जिला–सिमडेगा के आवेदन पर प्रारंभ किया गया। आवेदक ने लिखा है कि विपक्षी जयनाथ साव, पिता–टेनी साव, साकिन–साहु मुहल्ला नीचे बाजार, थाना–सिमडेगा जिला–सिमडेगा ने अवैध तरीके से उनकी रैयती भूमि पर कब्जा कर लिया हैं। जिसे बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 के तहत् वापस दिलवाने का अनुरोध किया हैं। वाद सं0–16/2014–15 के अनुसार प्रश्नगत् भूमि की विवरणी निम्नवत हैं:–

मौजा	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
सिमडेगा	75	157	21'X28½'

वाद की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए अंचल अधिकारी, सिमडेगा को इस न्यायालय के पत्रांक 153/विधि, दिनांक 04.07.2014 द्वारा उपर्युक्त अंकित भूमि से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचलाधिकारी, सिमडेगा के द्वारा प्रतिवेदन अप्राप्त है। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात हेाता है कि उभय पक्षों को न्यायालय में संबंधित वाद की सुनवाई हेतु उपस्थित होने के लिए आदेशित किया जाता रहा है। दिनांक 29.04.2015 से 29.08.2016 तक एवं 24.05.2017 से अबतक उभय पक्षों के द्वारा अधिवक्ताओं के माध्यम से हाजरी पड़ी और ना ही उभय पक्ष व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में सशरीर उपस्थित हो सके। ऐसा प्रतीत होता है कि उभय पक्षों को बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 के वाद की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से अभिरूचि नहीं हैं। इनकी मनसा शायद न्यायालय के समय को बर्बाद करने का हैं। ऐसे स्थिति में वाद सं0–16/2014–15 को संचिकास्त किया जा सकता हैं। फिर भी यदि आवेदक की इच्छा हो तो संबंधित वाद को न्यायालय में पुनः सुनवाई हेतु आवेदन पत्र समर्पित करते हुए अनुरोध कर सकते हैं।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
सिमडेगा।

Digitally signed by MAHENDRA KUMAR
Date: 2022.10.13 17:45:06 +05:30
Location: 192.168.202.80

अनुमण्डल दण्डाधिकरी
सिमडेगा।

Scanned with CamScanner